

14.02.2025:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार स्वामी द्वारा वकालतनाम मय जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादी अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभू द्वारा द्वारा no objection किया। वादी अधिवक्ता के no objection किया जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अधिवक्ता की बहस एव साक्ष्य सबूतो को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ को डिक्री की पालना मे पत्र जारी कर शामिल मिशल किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

